

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 987]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 — पौष 10, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्र.GENS-11/2825/2025-REVENUE/सात-3.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित करने हेतु परिवर्तित करती है तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

अनुसूची

स.क्र.	जिला	वर्तमान उप-खण्ड	नवीन उप-खण्ड	वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील	नवनी उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	चारामा	तहसील-कांकेर, नरहरपुर, सरोना, चारामा	तहसील- चारामा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 31st December 2025

NOTIFICATION

NO. GENS-11/2825/2025-REVENUE/Seven--3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Sub-Division specified in column (3) to create a new Sub-Division specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the Same having been previously published as required by Proviso to sub-section (2) of Section (13) of the said Code, Namely:-

SCHEDULE

S.NO.	District	Present Sub-Division	New Sub-Division	Tahsil included in Present Sub-Division	Tahsil included in new Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	North Baster Kanker	Kanker	Charama	Tahsil- Kanker, Narharpur, Sarona, Charama	Tahsil- Charama

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.